तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 134 / 2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
01.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हरिश पुत्र झालाराम जी प्रजापत, निवासी– सरकारी स्कूल के पास, सरुपगंज, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकरता एवं विक्रेता, फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड्वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (विदेश कुमार पुत्र प्रभूजी, नॉमिनी, फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव दिनांक 25.2.2023 द्वारा फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन. एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरिश पुत्र झालारामजी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2040 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./ 392/ Act/2023/432 दिनांक 10.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 20.12.2024 को प्रतिवादी हरिश पुत्र झालारामजी उपस्थित हुआ, उसके बाद प्रतिवादी हरिश इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी विदेश कुमार को नोटिस की पंजीकृत ड़ाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.2.2023 को समय 4.00 पी.एम. पर फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी हरिश पुत्र झालारामजी उपस्थित मिले जो GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार से आम जनता को खाद्य ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 134/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) का विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता हरिश पुत्र झालारामजी को गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की तथा GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार के दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के 25 पैकड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 800/– (रुपये आठ सौ मात्र) विक्रेता हरिश पुत्र झालाराम जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2040, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2040 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता हरिश पुत्र झालारामजी के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हरिश, गवाह श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.2.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.2.2023

........लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:40 IST
Reason: SelfAttested

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 134/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरिश पुत्र झालारामजी से खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2040 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./392/Act/2023/432 दिनांक 10.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के क्रय बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हरिश ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (रामदेव ब्राण्ड) के विक्रय हेतु फर्म GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, GPK super Bazar Private Ltd., जीपीके पिण्ड़वाडा सुपर बाजार, बी.ए.एन.एल. ऑफिस के पास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के नॉमिनी प्रतिवादी विदेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 28.5.2024 को पेश हो।

(दिनेश राय सापेला)

अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:40 IST
Reason: SelfAttested